रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/9


# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 340] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 11, 1995/श्रावण 20, 1917

No. 340] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 11, 1995/SARVANA 20, 1917


खाद्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1995

सा॰ का॰ नि॰ 588(अ)/आ॰व॰/चीनी॰— चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्व खाद्य मंत्रालय, कृषि सामुदायिक विकास और सहकारिता (खाद्य विभाग) के सं॰ सा॰ का॰ नि॰ 645/आ॰व॰/चीनी, दिनांक 14 अप्रैल, 1970 में भारत सरकार के चीनी (पैकिंग और चिह्नन) आदेश के आंशिक संशोधन में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, नामतः

1. संक्षिप्त नाम और लागू होने का समय.—(1) इस आदेश का नाम चीनी (पैकिंग और चिह्नन) संशोधन आदेश, 1995 है ।

(2) यह तुरन्त लागू होगा ।

2. खण्ड 3 को हटा दिया जाएगा और इसके स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, नामतः

"3. **प्रत्येक बोरी में भरी जाने वाली चीनी की मात्रा.**—जब तक अन्यथा केन्द्रीय सरकार अनुमति नहीं देती तब तक प्रत्येक बोरी में शुद्ध 100 किलोग्राम चीनी भरी जाएगी ।"

[संख्या 20-6/95 एस॰ पी॰ वाई॰ (डी-2)]

नवीन कुमार, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF FOOD

### ORDER

New Delhi, the 11th August, 1995

G.S.R. 588(E)/Ess.Com./Sugar.—In exercise of the powers conferred by Clause 5 of the Sugar (Control) Order, 1966 and in partial modification of the Sugar (Packing and Marking) Order of the Government of India in the former Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Food) No. GSR 645/Ess.Com./Sugar, dated the 14th April, 1970, the Central Government hereby makes the following Order, namely :

1. Short title and commencement.—(1) This Order may be called the Sugar (Packing and Marking) Amendment Order, 1995.

(2) It shall come into force at once.

2. Clause 3 shall be deleted and substituted by the following, namely :

"3. **Quantity of sugar to be packed in each bag.**—Unless otherwise permitted by the Central Government, each bag of sugar shall contain 100 kg. of sugar net."

[No. 20-6/95/SPY(D-II]
NAVIN KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 1995